

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर
प्रगति विवरण वर्ष 2022-23
(जून, 2022 तक)

बोर्ड द्वारा मुख्यतया राज्य में कृषकों को कृषि उपज के विपणन हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मण्डी प्रांगणों में विकास कार्य व फसलोत्तर प्रबंधन का कार्य सम्पादित किया जाता है। फसलोत्तर प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन का कार्य बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा निष्पादित प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

- राज्य के विभिन्न मण्डी प्रांगणों के विकास हेतु परियोजनाएं तैयार कर स्वीकृत कराना एवं परियोजनाओं के अनुसार विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना।
- कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य।
- राज्य के उत्पाद विशेष की बहुलता वाले क्षेत्रों में विशिष्ट मण्डियों की परियोजना तैयार कर उन्हें विकसित करना।
- फसलोत्तर प्रबंधन संबंधी कार्यों हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।
- कृषि विपणन संबंधी कार्य कलापों का प्रचार-प्रसार।
- कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन निदेशालय एवं मण्डी कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
- राज्य के किसानों की कल्याणकारी गतिविधियां संचालित किये जाने की दृष्टि से कृषक कल्याण कोष का संधारण।
- राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में मण्डी समितियों को पुनर्भरण।
- राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना-2019 का क्रियान्वयन।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना 2020 का क्रियान्वयन।
- कृषक उत्पादक संगठनों/कम्पनियों के गठन एवं उन्हें लाभान्वित किये जाने संबंधी कार्यों का समन्वय।
- राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधीन मसालों के उत्पादन, विपणन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मसाला प्रकोष्ठ का गठन।

बोर्ड द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रम/योजनाएं :

1. राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019

राज्य के किसानों की आय में वृद्धि किये जाने एवं कृषि आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन की दृष्टि से राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 जारी की गई है। योजनान्तर्गत कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये तक के अनुदान का प्रावधान है।

वित्तीय प्रगति :-

क्र.सं.	वर्ष	व्यय (लाख रुपये)
1.	वर्ष 2019-20	63.41
2.	वर्ष 2020-21 तक	3291.73
3.	वर्ष 2021-22 तक	10956.40
4.	वर्ष 2022-23 (गत माह मई, 2022 तक)	1666.55
5.	वर्ष 2022-23 (गत माह मई, 2022 में)	667.66
6.	2022-23 में कुल	2334.21

भौतिक प्रगति :-

क्र. सं.	मद	ईकाई	उपलब्धि वर्ष 2021-22 तक	उपलब्धि वर्ष 2022-23			विशेष विवरण
				गत माह तक	चालू माह	कुल योग	
1.	औद्योगिक इकाईयों को पूंजीगत अनुदान	औद्योगिक इकाईयों की संख्या	526	126	36	162	परियोजना निर्माणाधीन है। अनुदान तीन किश्तों में वितरित किया जाता है।
2.	औद्योगिक इकाईयों को ब्याज अनुदान	संख्या	1	—	—	—	पूंजीगत अनुदान प्राप्त इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् देय होगा।
3.	औद्योगिक इकाईयों को विद्युत प्रभार/सौर ऊर्जा संयंत्र अनुदान	संख्या	2	—	—	—	उपरोक्तानुसार
4.	भाड़ा अनुदान	लाभार्थी	16	0	0	0	आवेदन प्राप्त होने पर देय है।

कृषि निर्यात संवर्धन

कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कृषि विपणन बोर्ड को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी बनाया गया है।

2.प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.)

देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन हेतु प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) प्रारम्भ की गई है।

योजना के उद्देश्य

योजना के उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों की क्षमता निर्माण करना है ताकि वे :

- (i) मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, एफपीओ,स्व-सहायता समूहों एवं सहकारिताओं द्वारा क्रेडिट के लिए पहुंच क्षमता बढ़ाने में सक्षम हो;
- (ii) ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत बनाकर संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण कर सकें;
- (iii) देश में मौजूदा 2,00,000 उद्यमों का औपचारिक फ्रेमवर्क में अंतरण करने के लिए सहायता दे सकें;
- (iv) साझा सेवाओं जैसे साझा प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशालाओं, भंडारण, पैकिंग, विपणन और इन्क्यूवेशन सेवाओं तक पहुंच अधिक हो सके;
- (v) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में संस्थानों का, अनुसंधान एवं ट्रेनिंग की मजबूती;
- (vi) व्यावसायिक एवं तकनीकी सहायता के लिए उद्यमों के पहुंच में वृद्धि।

3.पी.एम.एफ.एम.ई. योजना के वित्तीय प्रावधान

योजना में 2020-21 से 2024-25 तक की पांच वर्षों की अवधि में 10 हजार करोड़ रु. के परिव्यय की कल्पना की गई है। योजनान्तर्गत व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 60 : 40 के अनुपात में वहन किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत राज्य में 6638 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सीधे क्रेडिट लिंकड सब्सिडी सहायता दी जायेगी। निजी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्रति उद्योग पात्र परियोजना लागत की 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंकड पूंजी सबसिडी परन्तु अधिकतम 10.00 लाख रुपये दिये जायेंगे। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिये और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिये। योजनान्तर्गत राज्य में 3078 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को Seed Capital अनुदान दिया जा चुका है एवं एकल श्रेणी के अन्तर्गत 603 उद्यमियों के आवेदन स्वीकृत किये गये हैं।

4. खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य योजनाएं

योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्यम निम्नलिखित सरकारी स्कीमों के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र होंगे।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** – एसएचजी को प्रारंभिक पूंजी, ट्रेनिंग, हैंड-होल्डिंग सहायता तथा ब्याज सहायता दे रहा है;
- **स्टार्ट-अप** ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी)– यह एक केंद्र प्रायोजित योजना और एनआरएलएम का हिस्सा है। इसमें 12 प्रतिशत के ब्याज पर व्यक्तिगत उद्यमी के लिए 1 लाख रूपए तक और उद्यमी समूहों के लिए 5 लाख रूपए तक के ऋण के रूप में सामुदायिक उद्यम निधि (सीईएफ) के माध्यम से ग्रामीण स्टार्ट – अप्स को ट्रेनिंग , हैंड-होल्डिंग तथा सहायता द्वारा पूंजी एवं तकनीकी सहायता दी जाती है।
- **एमएसएमई** को अधिक ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना 218 – बकाया राशि पर ब्याज सहायता;
- 2 करोड़ रूपए तक के संपार्श्विक मुफ्त ऋण (कोलेटरल फ्री) हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड;
- 10 लाख रूपए तक के ऋण के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना;
- नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमशीलता संवर्धन योजना (एसपीआईआई)
- ग्रामीण उद्योग पुनरुद्धार निधि योजना (एसएफयूआरटीआई);
- एमएसईज के लिए सार्वजनिक खरीद नीति;
- क्लस्टरों/समूहों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एमओएफपीआई की अन्य स्कीमों जैसे कि बैंकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेजिज, कृषि उत्पादन क्लस्टर तथा कोल्ड चेन आदि के अंतर्गत उपलब्ध लाभों का उपयोग किया जाएगा;
- एसएचजी के कौशल ट्रेनिंग हेतु नियमानुसार पीएमकेवीवाई तथा एनआरएलएम से सहायता ली जाएगी ।
- लघु अवधि के स्थल ट्रेनिंग हेतु, इस उद्देश्य से जरूरत के मुताबिक बनाए गए एनआरएलएम और पीएम एफएमआई योजना से सहायता प्रदान की जाएगी।

5. कृषक कल्याण कोष का गठन

राज्य के किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाने एवं कृषकों के कल्याण की दृष्टि से 16 दिसम्बर, 2019 को अध्यादेश जारी किया जाकर राशि रूपये एक हजार करोड़ के कोष का गठन किया गया है।

कृषक कल्याण कोष से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्यांश प्रीमियम के रूप में फसल बीमा कम्पनियों एवं पशुपालन विभाग को पशु चिकित्सा भवनों के निर्माण के लिए राशि जारी की गयी ।

6. मसाला प्रकोष्ठ का गठन

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधीन मसालों के उत्पादन, मूल्य संवर्धन, विपणन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मसाला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है । इस हेतु एक परामर्शी एवं विषय विशेषज्ञ की सेवाएँ ली जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मसाला सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है। किसानों एवं विषय विशेषज्ञों के साथ मसाला उद्यमी एवं निर्यातकों की 21 सदस्यों की एक Task Force (कमेटी) का गठन किया गया है । मसाला उद्योगों, विपणन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 200 किसानों, उद्यमियों, व्यापारियों व अधिकारियों की दो लाइव वेबिनार NIAM के सहयोग से दिनांक 15.02.2022 व 15.03.2022 व दो लाइव वेबिनार दिनांक 26.10.2021 व 03.02.2022 मुख्यालय स्तर पर आयोजित की गई । धनियां एवं जीरा के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटा एवं कृषि उपज मण्डी समिति, नागौर में आयोजित की गई। दिनांक 22.04.2022 को राज्य स्तरीय मसाला टास्क फोर्स की त्रैमासिक की बैठक आयोजित की गई हैं तथा खाद्य पदार्थों के Residue Testing हेतु कांटा एवं जोधपुर में Food Testing Labs का स्थापना की जा रही है। इस कार्य हेतु परामर्शी संस्था के रूप में NIFTEM को कार्यादेश जारी किया चुका है।

7. कृषक उत्पादक संगठन एवं सुदृढीकरण

- राजस्थान सरकार द्वारा कृषक उत्पादक संगठन (एफ पी ओ) कार्य हेतु राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नोडल विभाग नामित किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा संचालित “10,000 एफ पी ओ गठन तथा सहायता परियोजना” में भी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नोडल एजेन्सी नामित किया है।
- राज्य बजट घोषणा 2021–22 के अन्तर्गत ग्रांट आधारित **मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना** के तहत राज्य में 120 एफ.पी.ओ. का सुदृढीकरण किया जाना है। जिसके अंतर्गत राशि रूपये 137.75 करोड़ की तीन वर्षीय कार्य योजना स्वीकृत की गयी है, योजना प्रक्रियाधीन हैं।

8. निर्माण कार्य

वित्तीय वर्ष 2022–23 आलोच्य माह तक मण्डी यार्डों के भवन निर्माण व रख-रखाव पर **913.32** लाख रूपये, सड़क निर्माण पर **757.90** लाख रूपये व डिपोजिट कार्यों पर **2743.43** लाख रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में माह जून, 2022 तक कुल **4414.65** लाख रूपये व्यय किये गये एवं **23.96** किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण पूर्ण कराया गया।

कृषि विपणन बोर्ड के निर्माण कार्यों की वित्तीय व भौतिक प्रगति

(दिसम्बर 2018 से अप्रैल 2022 तक)

क्रमांक	विवरण	वित्तीय प्रगति (लाखों में)					योग
		दिसम्बर 2018 से मार्च 2019	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (जून, 2022 तक)	
अ.	वित्तीय प्रगति						
1	मंडी यार्ड व सबयार्ड कार्य	10960.46	9375.13	13959.73	7480.84	913.32	42689.48
2.	सड़क निर्माण कार्य	7498.13	5655.39	2851.53	3360.49	757.90	20123.44
3.	डिपोजिट कार्य	4106.07	12478.25	15166.30	16253.04	2743.43	50747.09
	योग	22564.66	27508.77	31977.56	27094.37	4414.65	113560.01
ब.	भौतिक प्रगति						
1.	सड़क निर्माण (किमी)	205.85	257.93	66.38	127.05	23.96	681.17

9. एग्रो ट्रेड टॉवरों का निर्माण

राज्य में अब तक सात एग्रो ट्रेड टॉवरों का निर्माण कृषि उपज मण्डी समिति यथा श्रीगंगानगर, कोटा, खैरथल (अलवर), बहरोड (अलवर), निवाई (टोंक), उदयपुर व निम्बाहेडा (चित्तोडगढ) में क्रमशः 1387.00, 1260.68, 708.44, 694.15, 904.89, 1400.00 व 1370.40 लाख रुपये की राशि से स्वीकृत किये गये थे। निम्बाहेडा के अतिरिक्त समस्त 6 एग्रो ट्रेड टॉवर का कार्य पूर्ण हो चुका है। इन सभी पर 5572.55 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

दिनांक 17.04.2018 को स्वीकृत नवीनतम एग्रो ट्रेड टॉवर निम्बाहेडा का कार्यादेश जारी किया जाना है। एग्रो ट्रेड टॉवरों में दुकानें, बैंक, रेस्टोरेन्ट, ए.टी.एम. आदि मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

10. मेगा फूड / मिनी फूड पार्क

मेगा फूड पार्क

जोधपुर (मथानिया) में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 717 / 73 कुल रकबा 79.41 हैक्टेयर भूमि में से 48 हैक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति राजस्थान अक्षय

ऊर्जा निगम के द्वारा जारी की जा चुकी है । राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को आवंटन राशि 2,07,76,500 रुपये राशि सचिव, मण्डी समिति जोधपुर (अनाज) द्वारा दिनांक 17.01.2022 को हस्तान्तरित करवायी जा चुकी है। 48 हैक्टेयर भूमि का मण्डी समिति, जोधपुर द्वारा दिनांक 08.04.2022 को कब्जा प्राप्त किया गया है। मेगा फूड पार्क विकसित किये जाने हेतु IFFCO को Draft Proposal हेतु श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, कृषि को दिनांक 31.03.2022 एवं 31.05.2022 द्वारा अर्धशासकीय पत्र भिजवाया गया है। IFFCO द्वारा आदिनांक तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा मेगा फूड पार्क जोधपुर की DPR बनाए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मिनी फूड पार्क 9

नागौर, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, जालौर, जैसलमेर एवं पाली में मिनी फूड पार्क स्थापित किये जाने हेतु भूमि का कब्जा प्राप्त कर फूड पार्क विकसित किये जाने हेतु डीपीआर बनाने के कार्यादेश की पालना में Final DPR प्राप्त की जा चुकी हैं। प्राप्त डीपीआर का अनुमोदन राज्य सरकार से करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बीकानेर जिले हेतु नगर विकास न्यास स्तर पर भूमि आवंटन स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

11. किसान भवन

किसानों को सस्ती दर पर ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि व कृषि विपणन के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारियां व प्रशिक्षण देने, कृषि आदानों की एक ही छत के नीचे आपूर्ति के उद्देश्य से समस्त संभागीय व जिला स्तर पर किसान भवन बनाये गये हैं। लालकोठी सब्जी मण्डी स्थित जयपुर किसान भवन का संचालन कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है एवं इसके अतिरिक्त सभी किसान भवनों का संचालन कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा किया जा रहा है।

12.राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना-2009

योजना के अंतर्गत कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय एवं गांव से मण्डी तक विक्रय करने व अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि 5000/- रुपये से 2,00,000/- रुपये तक दी जा रही है।